



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1941 (श०)

(सं० पटना 881) पटना, मंगलवार, 30 जुलाई 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई 2019

सं० एल०जी०-01-14/2019/5149 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 जुलाई 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।



[बिहार अधिनियम 10, 2019]

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019

भारत-गणतंत्र के सत्तरवें वर्ष में, बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-I**प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम “बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019” कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजकीय गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।— इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :-

- (क) ‘अकादमिक सत्र’ से अभिप्रेत है चालू वर्ष की 1ली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की बारह माहों की अवधि;
- (ख) ‘सम्बद्ध विद्यालय’ से अभिप्रेत है शैक्षणिक संस्थान जो समिति से, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनी नियमावली एवं विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार वर्ग XII तक के लिए, विशेषाधिकार प्राप्त हो;
- (ग) ‘सम्बद्धता समिति’ से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-20 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति;
- (घ) ‘नियुक्ति प्राधिकार’ से अभिप्रेत है कार्यालय परिचारी स्तर से ऊपर के सभी कर्मियों के संबंध में अध्यक्ष और कार्यालय परिचारी स्तर के कर्मियों के संबंध में सचिव;
- (ङ) ‘अपीलीय प्राधिकार’ से अभिप्रेत है कार्यालय परिचारी स्तर से ऊपर के सभी कर्मियों के संबंध में समिति तथा कार्यालय परिचारी स्तर के कर्मियों के संबंध में अध्यक्ष;
- (च) ‘परिशिष्ट’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम में संलग्न परिशिष्ट;
- (छ) ‘समिति’ से अभिप्रेत है बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड ऐक्ट, 1952 की धारा-3 के अन्तर्गत स्थापित तथा इस अधिनियम की धारा-3 के अधीन स्थापित की जाने वाली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति;
- (ज) ‘अध्यक्ष’ से अभिप्रेत है समिति का अध्यक्ष;
- (झ) ‘विभाग’ से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
- (ञ) ‘परीक्षा’ से अभिप्रेत है समिति द्वारा संचालित परीक्षा;
- (ट) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
- (ठ) ‘सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय’ से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय;
- (ड) ‘प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका’ से अभिप्रेत है समिति द्वारा सम्बद्ध किसी उच्च माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका;
- (ढ) ‘विभागाध्यक्ष’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-13(2) में प्रगणित विभिन्न स्कन्धों के प्रमुख;
- (ण) ‘गैर-सरकारी संगठन’ से अभिप्रेत है शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रयोजनों के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 के अधीन सृजित या कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा-25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे नाम के साथ कोई संगठन या संस्थान या सोसाइटी या ट्रस्ट या कोई अन्य निकाय;
- (त) ‘विहित’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा विरचित नियमावली एवं विनियमावली द्वारा विहित;
- (थ) ‘विनियमावली’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा विरचित विनियमावली;
- (द) ‘नियम’ से अभिप्रेत है कि इस अधिनियम के अधीन विभाग द्वारा विरचित नियम;
- (धा) ‘विद्यालय’ से अभिप्रेत है समिति द्वारा मान्यता एवं सम्बद्धता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय;
- (न) ‘माध्यमिक विद्यालय’ से अभिप्रेत है समिति द्वारा यथाविहित 10वें वर्ग तक के पाठ्यक्रम का शिक्षा प्रदायी कोई विद्यालय और इसमें समिति द्वारा सन्म्यक रूप से सम्बद्ध संस्थान शामिल हैं;
- (प) ‘उच्च माध्यमिक विद्यालय’ से अभिप्रेत है समिति द्वारा यथाविहित इन्टरमीडियेट (+2) वर्ग तक के पाठ्यक्रम का शिक्षा प्रदायी कोई विद्यालय, और इसमें समिति द्वारा सन्म्यक रूप से सम्बद्ध इन्टरमीडियेट (+2) शिक्षण संस्थान शामिल हैं;
- (फ) ‘सचिव’ से अभिप्रेत है समिति का सचिव;
- (ब) ‘राज्य से अभिप्रेत है’ बिहार राज्य;
- (भ) ‘राज्य सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;



- (म) 'राज्य विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय जो बिहार सरकार द्वारा; बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम-1976, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम-1995 और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2008 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
- (य) 'उपाध्यक्ष' से अभिप्रेत है समिति का उपाध्यक्ष।

अध्याय-II

समिति

3. **समिति की स्थापना एवं निगमन।**—(1) सरकार द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम से एक समिति स्थापित की जायेगी जो शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर के साथ एक निगम निकाय होगी तथा उस नाम से वाद ला सकेगी एवं उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(2) समिति को, चल एवं अचल सम्पत्ति, दोनों को, अर्जित करने तथा धारण करने, और उसके द्वारा धारित किसी सम्पत्ति को इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली/विनियमावली के उपबंधों के अधधीन अन्तरित करने तथा अनुबंध करने, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य कोई कार्य करने की शक्ति होगी।

(3) समिति का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा और इसके क्षेत्रीय कार्यालय समिति के निर्णयानुसार विभिन्न स्थानों पर अवस्थित किये जा सकेंगे।

4. समिति का गठन—(1) समिति निम्नलिखित से गठित होगी—

- (क) अध्यक्ष;
- (ख) उपाध्यक्ष;
- (ग) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार (पदेन);
- (घ) समिति का सचिव, सदस्य—सचिव के रूप में;
- (ङ) सरकार द्वारा मनोनीत बिहार राज्य के किन्हीं दो राज्य विश्वविद्यालयों से दो प्रतिनिधि;
- (च) सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक प्राचार्य;
- (छ) राज्य सरकार के अधीन किसी संस्थान से सरकार द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में परीक्षा पद्धति की विशेषज्ञीय जानकारी रखते हों।

(2) धारा 5(4) एवं 6(4), के उपबंधों के अधधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी होगा।

5. अध्यक्ष की नियुक्ति एवं हटाया जाना।—

- (1) अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार करेगी।
- (2) अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव से अन्यून पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे।
- (3) अध्यक्ष का वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवाशर्तें वही होंगे जैसा कि सरकार द्वारा अवधारित की जाय।
- (4) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष को किसी भी समय हटा सकेगी।
- (5) धारा 5(2) के अधधीन कोई व्यक्ति, जिसे पूर्व में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हो, वह भी सरकार द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने हेतु योग्य होगा।

6. उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं हटाया जाना।—

- (1) उपाध्यक्ष की नियुक्ति सरकार करेगी।
- (2) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा ग्रुप-ए केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारी अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव अथवा उसके ऊपर के पदाधिकारी होंगे।
- (3) उपाध्यक्ष का वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवाशर्तें वही होंगे जैसा कि सरकार द्वारा अवधारित किया जायेगा।
- (4) सरकार, अधिसूचना द्वारा उपाध्यक्ष को किसी भी समय हटा सकेगी।

7. अध्यक्ष के पद में रिक्ति।—

- (1) यदि अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या अन्यथा के कारण पदावधि पूरा करने में असमर्थ हो जाय तो उपाध्यक्ष या सरकार द्वारा नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पदीय कार्यों एवं कर्तव्यों का सम्पादन, सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 5(1) के अधधीन किसी अध्यक्ष की नियुक्ति किये जाने तक, के लिए करेगा।
- (2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

8. सचिव की नियुक्ति एवं हटाया जाना।—

- (1) सरकार समिति के सचिव को ऐसी शर्तों एवं ऐसी अवधि के लिए नियुक्त करेगी जैसा कि सरकार द्वारा विहित की जाय।
- (2) सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति बिहार शिक्षा सेवा के संयुक्त निदेशक स्तर या उसके ऊपर के पदाधिकारी अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के या उसके ऊपर के पदाधिकारी होंगे।
- (3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सचिव को किसी भी समय हटा सकेगी।

9. समिति की रिक्तियों, आदि के कारण कार्यों अथवा कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करना।—समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व मात्र अथवा, यथास्थिति, समिति या कमिटी, के गठन में त्रुटि के आधार पर समिति या समिति की किसी कमिटी के किसी कार्य या कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

10. कामकाज का संचालन।—समिति, विनियमावली द्वारा, समिति या इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा गठित किसी कमिटी, की बैठकों में कामकाज के संचालन को विनियमित करने संबंधी अनुसरणीय प्रक्रिया विहित करेगी।

11. समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य।—(1) समिति, इस अधिनियम के अधीन आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएँ करेगी।

(2) समिति—

- (क) समिति से सम्बद्ध विद्यालयों के साथ सम्यक रूप से पंजीकृत छात्रों की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन करेगी;
- (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन०सी०टी०ई०) से मान्यता प्राप्त एवं समिति द्वारा सम्बद्ध संस्थानों के डिप्लोमा इन एलीमेन्टरी एजुकेशन (डीएल०एड०) के लिए परीक्षाओं का संचालन करेगी;
- (ग) ऐसे अन्य परीक्षाओं का संचालन करेगी, जैसा कि विभाग अथवा समिति समय-समय पर निदेशित करेगी;
- (घ) समिति द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करेगी और ऐसी परीक्षाओं के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति प्रदान करेगी;
- (ङ) डिप्लोमा इन एलीमेन्टरी एजुकेशन (डीएल०एड०) पाठ्यक्रम का संचालन करनेवाले संस्थानों और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करेगी;
- (च) समिति के साथ सम्बद्ध विद्यालयों/संस्थानों को विनियमित करेगी;
- (छ) विद्यालयों/संस्थानों, जिन्हें समिति द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है, की सम्बद्धता को निलंबित या रद्द करने की शक्ति समिति को होगी;
- (ज) परीक्षाओं के संचालन, परिणामों का प्रकाशन और सर्टिफिकेट एवं अंक-पत्र प्रदान करने के लिए विहित प्रक्रिया निर्धारित करेगी;
- (झ) समिति के सम्बद्ध विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश और ऐसे छात्रों को समिति द्वारा संचालित की जानेवाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अनुमति हेतु शर्तों का निर्धारण करेगी;
- (ञ) समिति द्वारा संचालित परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल में लिप्त छात्रों/संस्थानों को विवर्जित कर सकेगी;
- (ट) ऐसी फीस माँगेगी एवं प्राप्त करेगी जैसा समिति द्वारा विहित किया जाय;
- (ठ) पाठ्यक्रम संबंधी एवं पाठ्येतर क्रियाकलापों को प्रोत्साहित एवं सम्प्रवर्तित करेगी;
- (ड) छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें समिति आवश्यक समझे, के ज्ञान एवं जागरूकता में सुधार करने का प्रयास करेगी;
- (ढ) शैक्षणिक संस्थानों को उनके संरचनात्मक सुधार के लिए अथवा बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दे सकेगी;
- (ण) अभ्यर्थियों की उपलब्धियों के निर्धारण की उन्नत रीतियों का ईजाद करेगी एवं ऐसी रीतियों का प्रयोग करेगी;
- (त) विद्यालयों के निरीक्षण की व्यवस्था कर सकेगी;
- (थ) ऐसी अन्य विभागीय परीक्षाओं का संचालन करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो विहित किये जायें;
- (द) अधिनियम के अधीन सौंपे गये कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु, कमिटियों का गठन एवं नियुक्ति कर सकेगी;
- (ध) समिति अपने विभिन्न कार्यालयों के लिए प्रशाखा पदाधिकारी स्तर तक के विभिन्न पदों का सृजन करेगी। प्रशाखा पदाधिकारी स्तर के उपर के पदों का सृजन विभाग की पूर्वानुमोदन से किया जाएगा;



- (न) ऐसे अन्य अस्थायी पदों का सृजन अधिकतम एक वर्ष के लिए कर सकेगी, जैसा कि अधिनियम के अधीन सौंपे गये कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझा जाय और ऐसे पदों के विरुद्ध तदर्थ आधार पर एक वर्ष के लिए व्यक्तियों का नियोजन कर सकेगी; और

- (प) अपने क्षेत्राधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय और/अथवा माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन नामांकन लेने की शक्ति होगी।

- (3) समिति को ऐसी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ होंगी जैसा कि परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट हैं।

12. समिति को निदेश देने हेतु सरकार की शक्ति।—सरकार, समिति को, समय-समय पर, ऐसे सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे। समिति, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

- 13. समिति के पदाधिकारी।**—(1) समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा—

- (i) अध्यक्ष,
- (ii) उपाध्यक्ष,
- (iii) सचिव,
- (iv) विभिन्न स्कन्धों के विभागाध्यक्ष, जैसा कि इस धारा की उपधारा (2) में परिभाषित है,
- (v) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा परिशिष्ट-2 में उल्लिखित है,
- (vi) ऐसे अन्य पदाधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली द्वारा यथाविहित, समय-समय पर, समिति द्वारा निर्णित किये जायें।

- (2) समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी अपने-अपने स्कन्धों के विभागाध्यक्ष होंगे—

- (i) निदेशक (शैक्षणिक) : शैक्षणिक स्कन्ध
- (ii) मुख्य निगरानी पदाधिकारी : निगरानी स्कन्ध
- (iii) परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक : माध्यमिक परीक्षा स्कन्ध
- (iv) परीक्षा नियंत्रक, उच्च माध्यमिक : उच्च माध्यमिक परीक्षा स्कन्ध
- (v) परीक्षा नियंत्रक, विविध : विविध परीक्षा स्कन्ध
- (vi) निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) : सूचना प्रौद्योगिकी स्कन्ध

- (3) विभिन्न स्कन्धों के विभागाध्यक्षों की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी जैसा कि परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु यह कि यथावश्यक, समिति के पदाधिकारियों के पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों से भरा जा सकेगा।

- 14. अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।**—

- (1) अध्यक्ष को समिति की बैठकें आहूत करने की शक्ति होगी।
- (2) समिति के प्रशासनिक कामकाज से उद्भूत किसी आकस्मिकता, जिसमें अध्यक्ष की राय में तुरंत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित हो, की स्थिति में अध्यक्ष ऐसी कार्रवाई करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् स्वयं द्वारा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन समिति को उसकी अगली बैठक में देगा।
- (3) वह कार्यालय परिचारी स्तर से ऊपर के सभी कर्मियों का नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार होगा।
- (4) अध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी जैसा कि परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट है।
- (5) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि अधिनियम के अधीन विरचित नियमावली एवं विनियमावली द्वारा उसे प्रदत्त की जायें।
- (6) अध्यक्ष द्वारा ऐसे अन्य कर्तव्यों एवं दायित्वों का भी निर्वहन किया जायेगा, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निदेशित किया जाय।

- 15. उपाध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।**—

- (1) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति की बैठकों का पीठासीन पदाधिकारी होगा।
- (2) उपाध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी जैसा कि परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष कर सकेगा।
- (3) अध्यक्ष अपनी वित्तीय और/अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ सहित, अपनी शक्तियों एवं कृत्य में से किसी का प्रत्यायोजन उपाध्यक्ष को कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किसी अन्य कार्य या कर्तव्य का जिम्मा दे सकेगा।

**16. सचिव की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।—**

- (1) सचिव, समिति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, समिति का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होगा। वह वार्षिक प्राक्कलनों एवं लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- (2) सचिव समिति का सदस्य—सचिव होगा।
- (3) सचिव यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि सभी धन उन्हीं प्रयोजनों हेतु व्यय हो रहे हैं जिसके लिए वे स्वीकृत या आवंटित हुए हैं।
- (4) सचिव समिति की बैठकों की कार्यवृत्त संधारित करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- (5) सचिव कार्यालय परिचारी स्तर के कर्मियों का नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकार होगा।
- (6) सचिव की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी जैसा कि परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट है।
- (7) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि अधिनियम के अधीन विरचित नियमावली एवं विनियमावली द्वारा विहित की जाय।

17. समिति के परीक्षा नियंत्रकों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।— परीक्षा नियंत्रकों की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, यथा —

- (क) परीक्षाओं के परिणामों को विचारित, मॉडरेट, अवधारित एवं प्रकाशित करना;
- (ख) संबंधित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना और, किसी भी कारण से जो उसकी राय में परीक्षा पद्धति एवं अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, अभ्यर्थियों को ऐसी परीक्षा में उन्हें प्रस्तुत होने से निरहित करना।
- (ग) परीक्षा केन्द्रों एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण।
- (घ) परीक्षाओं के लिए पेपर सेटर्स, मॉडरेटर्स, परीक्षकों, परिगणकों, पर्यवेक्षकों एवं वीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना और ऐसी नियुक्तियाँ करना।
- (ङ) परीक्षाओं का संचालन, विज्ञप्तियों का प्रकाशन, परीक्षाफल की तैयारी एवं प्रकाशन।
- (च) जाँच से संबंधित मामलों एवं लंबित परीक्षाफल का सुधार/प्रकाशन।
- (छ) ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

18. समिति के अन्य पदाधिकारियों के कर्तव्य।—(1) निदेशक (शैक्षणिक), मुख्य निगरानी पदाधिकारी एवं निदेशक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे:—

- (i) निदेशक (शैक्षणिक)—निदेशक (शैक्षणिक), शैक्षणिक स्कन्ध का प्रधान होगा और वह माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए संस्थानों की संबद्धता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान करेगा। वह पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण की अनुशंसा एवं समीक्षा करेगा। वह समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य कार्य करेगा।
- (ii) मुख्य निगरानी पदाधिकारी—मुख्य निगरानी पदाधिकारी, निगरानी स्कन्ध का प्रधान होगा। समिति के मुख्य कार्यालय की विभिन्न शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार एवं कदाचार का उद्भेदन एवं निरोध करना उसका कर्तव्य होगा और ऐसे कर्मियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की अनुशंसा करेगा जो कदाचार एवं समिति के हितों के प्रतिकूल कार्यों में लिप्त पाये जाते हों।
- (iii) निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)—निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सूचना प्रौद्योगिकी स्कन्ध (आईटी विंग) का प्रधान होगा और समिति की विभिन्न परीक्षाओं के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी कार्यों का संचालन सहित समिति के कामकाज के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी युक्ति, प्रबंधन कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) समिति को, ऐसे अन्य कार्यों को समिति के पदाधिकारियों को प्रदान करने की शक्ति होगी, जो आवश्यक समझा जाय।
- (3) परिशिष्ट-2 में उल्लिखित समिति के अन्य पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण, समय-समय पर, समिति द्वारा किया जाएगा।

19. सम्बद्धता की स्वीकृति एवं वापस करने की शक्तियाँ।—

- (1) इस अधिनियम की धारा-20 के अंतर्गत गठित सम्बद्धता समिति की अनुशंसा पर किसी गैर सरकारी संस्थानों या निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा अन्य विद्यालय स्थापना की सम्बद्धता स्वीकृत करने या वापस लेने की शक्ति समिति को होगी तथा विभाग के अनुमोदन के पश्चात इस संबंध में विनियमावली बनाने की शक्ति भी समिति को होगी।

परन्तु इन्टरमीडिएट (+2) स्तर की शिक्षा देने वाली संस्थाएँ बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1992 की धारा-39 के अधीन मान्यता प्राप्त समझी जायेंगी अथवा धारा-41 के अधीन स्थापित और स्थापना के लिए मान्यता प्राप्त अथवा अनुज्ञापित संस्थाएँ उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए बोर्ड से संबद्ध समझी जायेंगी ;



परन्तु इसके अतिरिक्त वैसी इन्टरमीडिएट (+2) शिक्षा संस्थान, जिन्हें पूर्व से मान्यता प्राप्त हो तथा वे अपना नाम परिवर्तित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय, उन सभी सुविधा और शिक्षकों के साथ माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए किये हों को समिति द्वारा विनियमावली के अंतर्गत एक समय सीमा निर्धारित करते हुए प्रदान की जायेगी।

- (2) समिति को वैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जिनकी प्रस्वीकृति धारा-19 के उपधारा (1) के तहत की गई है, उसे समिति के विचारण के पश्चात, वापस/रद्द/निलंबित करने की शक्ति होगी, जिस प्रस्वीकृत विद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रस्वीकृति के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया जायेगा या अन्य किसी प्रकार से छात्रों, समिति अथवा सामान्य शिक्षा व्यवस्था के हित का पालन नहीं कर रहे हो।

परन्तु साथ ही ऐसे विद्यालयों की प्रस्वीकृति वापस लेने/रद्द किये जाने के पूर्व, समिति द्वारा सम्बद्ध विद्यालय को सुनवाई का अवसर देगी, और विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी को उनके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने तथा समिति की आगामी परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगी।

- (3) धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति प्रदान की गई हो या समिति द्वारा अधिनियम की धारा-19(1) के अंतर्गत प्रस्वीकृति वापस/रद्द किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाने वाला हो, समिति के विवेकानुसार संस्थान को सकारण बताते हुए निलंबित किये जाने की शक्ति होगी। ऐसे संस्थानों की प्रस्वीकृति निलंबित किये जाने के पूर्व इनसे कारण पृच्छा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

20. सम्बद्धता कमिटी।-

- (1) समिति द्वारा, गैर-सरकारी संस्थाओं या निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा अन्य विद्यालय, जिनके लिए इसे परीक्षा आयोजित करनी होती है, की सम्बद्धता स्वीकृत करने या वापस लेने हेतु अनुशंसा करने के लिए एक सम्बद्धता कमिटी का गठन किया जायेगा।
- (2) सम्बद्धता कमिटी की अनुशंसा को समिति के समक्ष उपस्थापित कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। सम्बद्धता कमिटी की अनुशंसा स्वीकृत करने की बाध्यता समिति पर नहीं होगी। समिति द्वारा अन्य कमिटी का गठन कर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अनुशंसा प्राप्त करने की शक्ति, समिति में निहित होगी।
- (3) सम्बद्धता कमिटी का गठन निम्न प्रकार होगा:-
 - (i) समिति के सचिव;
 - (ii) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार;
 - (iii) समिति के निदेशक (शैक्षणिक) ;
 - (iv) समिति के मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।
- (4) समिति का सचिव कमिटी के संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

21. समिति को अवक्रमित करने की शक्तियाँ।-

- (1) यदि सरकार की राय में समिति उस पर अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो अथवा अपने कर्तव्यपालन में लगातार असफल हो अथवा सरकार द्वारा धारा-12 के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किया हो अथवा अपनी शक्तियों से परे कार्य किया हो अथवा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो, तो सरकार, अधिसूचना द्वारा समिति को अवक्रमित कर सकेगी:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व, सरकार, समिति को कारण बताने के लिए कि क्यों नहीं उसे अवक्रमित कर दिया जाना चाहिए, एक युक्ति युक्त अवसर प्रदान करेगी और समिति के स्पष्टीकरण एवं आपत्तियाँ, यदि हों, पर विचार करेगी।

- (2) उपधारा (1) के अधीन समिति के अवक्रमण हेतु अधिसूचना के प्रकाशित होने पर-
 - (क) समिति के सभी सदस्य अवक्रमण की तारीख के प्रभाव से अपने पद छोड़ देंगे;
 - (ख) अधिनियम के उपबंधों द्वारा या के अधीन समिति द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग किये जाने या पालन किये जाने वाली सभी शक्तियाँ एवं कर्तव्य, अवक्रमण की अवधि में, ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग या पालन किये जायेंगे जैसा कि सरकार निदेश दे; तथा
 - (ग) समिति में निहित सभी सम्पत्तियाँ, अवक्रमण अवधि में, सरकार में निहित होंगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवक्रमण अवधि की समाप्ति पर, सरकार-
 - (क) अवक्रमण अवधि को आगे की ऐसी अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे; या
 - (ख) धारा-4 में यथा उपबधित समिति का पुनर्गठन कर सकेगी।



अध्याय-III समिति की निधि

22. समिति की निधि।-

- (1) समिति के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी, जो समिति में निहित होगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन होगी, जो समिति की निधि के नाम से जानी जाएगी।
- (2) समिति की निधि में जमा किये जायेंगे-
 - (क) सरकार द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि से समिति को आवंटित सभी रकम और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों से समिति द्वारा उधार लिये गये सभी रकम;
 - (ख) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के किसी उपबंध के अधीन भुगतये एवं उद्ग्रहित सभी फीस सहित समिति द्वारा या की ओर से प्राप्त सभी राशि; तथा
 - (ग) समिति द्वारा प्राप्त सभी अन्य रकम जो पूर्ववर्ती खंडों में शामिल नहीं हैं।
- (3) समिति की निधि के रूप में प्राप्त राशि किसी भी सूचीकृत वाणिज्यिक बैंक/बैंकों (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त) में रखा जायेगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लेखा नाम के खाते में जमा किया जायेगा।

23. समिति की निधि का उपयोजन।-समिति की निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लागू होगी:-

- (क) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के प्रयोजनों हेतु समिति द्वारा उपगत उधार के प्रतिसंदाय में;
- (ख) समिति के पदाधिकारियों एवं स्टाफ के वेतनों एवं भत्तों के भुगतान में;
- (ग) समिति एवं विभिन्न कमिटियों के सदस्यों के यात्रा एवं अन्य भत्तों के भुगतान में;
- (घ) परीक्षाओं के संचालन और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के अधीन समिति को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्ययों के भुगतान में;
- (ङ) समिति की निधि के अंकेक्षण लागत के भुगतान में;
- (च) पुनरीक्षित पाठ्य-क्रम को लागू करने एवं अन्य सुधारों हेतु विद्यालयों को समर्थ बनाने के लिए विद्यालयों के बीच अनुदान के रूप में वितरण के लिए अनुदान के भुगतान में;
- (छ) समिति द्वारा सम्बद्धता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान के आधारभूत संरचना के विकास अथवा उसके कार्य प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए अनुदान के भुगतान में;
- (ज) आधारभूत संरचना के विकास के साथ भूमि एवं भवन के क्रय, भूमि एवं भवन के किराये का भुगतान, सुरक्षा एवं वाहन के किराये का भुगतान, भवन निर्माण, मशीनरी, वाहन, उपस्कर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि के क्रय हेतु भुगतान में;
- (झ) छात्रों के बीच पाठ्यक्रम संबंधी एवं पाठ्येतर क्रियाकलापों को प्रोत्साहित एवं सम्प्रवर्तित करने में;
- (ञ) छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें समिति आवश्यक समझे, के ज्ञान एवं जागरूकता का सुधार करने में;
- (ट) समिति से सम्बद्ध किसी शैक्षणिक संस्थान को उसके संरचनात्मक सुधार के लिए अथवा बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान देने में;
- (ठ) समिति के कार्य और/अथवा कार्य-संस्कृति में सुधार लाने हेतु या समिति के पदाधिकारियों एवं स्टाफ की कार्य क्षमता में सुधार के लिए किसी क्रियाकलाप हेतु भुगतान में;
- (ड) किसी मुकदमा या कार्यवाही, जिसमें समिति एक पक्षकार हो, के खर्च में; तथा
- (ढ) बोर्ड की स्वीकृति से पांच करोड़ रुपये तक एवं विभाग की पूर्व स्वीकृति से पांच करोड़ रुपये से अधिक तक समिति के प्रयोजनों हेतु समिति द्वारा घोषित समिति के किसी अन्य खर्च, जो पूर्ववर्ती खंडों में निर्दिष्ट नहीं हैं, के भुगतान में।

परन्तु यह कि खंडों (च) एवं (छ) में निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी रकम की स्वीकृति समिति के अनुमोदन के अधधीन होगी।

24. समिति के लेखाओं का अंकेक्षण।- समिति के लेखा अंकेक्षणीय होंगे।



अध्याय-IV

माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय/विविध अन्य परीक्षाएँ

25. माध्यमिक विद्यालय परीक्षा।- समिति, माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएँ नामक परीक्षाओं का संचालन करेगी जिसमें ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी जिन्होंने समिति से सम्बद्ध माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये गये विहित पाठ्यक्रम को पूरा कर लिये हों और, किसी विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कोई छात्र, जिसने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एक छात्र के रूप में उच्च विद्यालयों/महाविद्यालयों के उच्च माध्यमिक अनुभाग में, ऐसी शर्तों, जैसा कि विधि के अधीन बनाये गये कानूनों, अध्यादेशों एवं विनियमावली द्वारा विहित की गयी हो, के पूरा होने के अधीन रहते हुए प्रवेश पाने के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम ऐसे समूहों में एवं ऐसे निदेशों के अनुसार होगा जैसा कि विभाग द्वारा समय-समय पर अधिकथित किया जाय।

26. उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएँ।- समिति, उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएँ नामक परीक्षाओं का संचालन करेगी जिसमें ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी जिन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों के इन्टरमीडियेट अनुभाग/महाविद्यालयों के उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये गये विहित पाठ्यक्रम को पूरा कर लिये हों और किसी विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई छात्र जिसने उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एक छात्र के रूप में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय में, ऐसी शर्तों, जैसा कि संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उनके निगमन की विधि के अधीन बनाये गये कानूनों, अध्यादेशों एवं विनियमावली द्वारा विहित की गयी हो, के पूरा होने के अधीन रहते हुए प्रवेश पाने के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम ऐसे समूहों में एवं ऐसे निदेशों के अनुसार होगा जैसा कि विभाग द्वारा समय-समय पर अधिकथित किया जाय।

27. विविध अन्य परीक्षाएँ।- समिति द्वारा संचालित किये जाने हेतु सरकार द्वारा अधिसूचित विविध अन्य परीक्षाएँ नाम से जानी जानेवाली ऐसी परीक्षाएँ समिति संचालित करेगी जिसमें ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी, जिन्होंने आवेदन दिया हो तथा समिति द्वारा विहित नियमावली एवं विनियमावली के अनुसार शामिल होने हेतु अर्हक हों।

28. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय/विविध अन्य परीक्षाओं के उद्देश्य।- समिति द्वारा संचालित की जानेवाली माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय/विविध अन्य परीक्षाओं का उद्देश्य अभ्यर्थियों की भारत संघ के उपयोगी नागरिक के रूप में, उनकी अर्हताओं और विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं में उनके आमेदन की तैयारी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उनकी उपयुक्तता की जाँच करना होगा।

अध्याय-V

क्षेत्रीय कार्यालय

29. समिति के क्षेत्रीय कार्यालय।-

- (1) समिति का पटना में मुख्यालय कार्यालय के अतिरिक्त समिति के निर्णयानुसार, अन्य जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय होंगे।
- (2) समिति के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा छात्रों/अभ्यर्थियों की शिकायतों से संबंधित आवेदन भी स्वीकार किया जायेगा एवं उनके निवारण हेतु कार्यवाई किया जायेगा।

30. क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्तव्य एवं कार्य।- क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्य कर्तव्य एवं कार्य निम्नवत होंगे, यथा-

- (i) उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षाओं संबंधी वृहत त्रुटि सुधार। वृहत त्रुटिसुधार से अभिप्रेत है मौलिक बदलाव संबंधी संशोधन, यथा- जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, नाम आदि।
- (ii) उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षाओं संबंधी लघु त्रुटि सुधार। लघु त्रुटिसुधार से अभिप्रेत है उच्चारण संबंधी त्रुटियों का सुधार।
- (iii) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं संबंधी द्वितीयक (डुप्लीकेट) प्रमाण पत्र निर्गत करना (यथा- डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, इंगलिश वर्जन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इत्यादि)।
- (iv) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं संबंधी रिजल्ट का ऑनलाइन सत्यापन।
- (v) समिति के निदेशानुसार, परीक्षाओं से संबंधित विविध प्रकार के कार्य।

परन्तु यह कि क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्तव्यों एवं कार्यों को, समय-समय पर, समिति द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

31. क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ।- क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी।

**अध्याय—VI****विविध**

32. नियमावली बनाने की शक्ति।— (1) सरकार/इस अधिनियम के प्रयोजनों एवं उद्देश्यों को क्रियान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा, नियमावली बना सकेगी।

33. समिति की विनियमावली बनाने की शक्ति।— समिति, विभाग द्वारा सम्पुष्टि के अधीन, निम्नलिखित में से सभी या किसी विषयों का उपबंध करने हेतु विनियमावली बना सकेगी जो अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली से असंगत नहीं हो, यथा—

- (क) समिति की बैठकों में कामकाज के संचालन को विनियमित करनेवाली अनुसरणीय प्रक्रिया;
- (ख) समिति से सम्बद्ध विद्यालयों/संस्थानों के संचालन हेतु;
- (ग) समिति द्वारा प्रस्वीकृत विद्यालयों के शिक्षण स्तर में सुधार हेतु;
- (घ) विद्यालयों का सम्बद्धीकरण/असम्बद्धीकरण;
- (ङ) समिति के पदाधिकारी/कर्मियों के पद पर स्थायी/नियमित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया एवं रीति का निर्धारण एवं ऐसे पदों हेतु अर्हता आदि का निर्धारण;
- (च) समिति के पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवा शर्तों का निर्धारण; एवं
- (छ) ऐसे कोई विषय, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार विनियमावली द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जा सकते हैं।

34. अपील एवं पुनर्विचार।—

- (1) सचिव या संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी।
- (2) किसी व्यक्ति द्वारा सचिव के आदेश से उद्भूत अपील अध्यक्ष के समक्ष की जा सकेगी।
- (3) किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के आदेश से उद्भूत अपील समिति के समक्ष की जा सकेगी।
- (4) समिति द्वारा पारित आदेश से उद्भूत कोई अपील नहीं की जा सकेगी, पीड़ित व्यक्ति समिति के समक्ष पुनर्विचार हेतु आवेदन दे सकेगा।
- (5) कोई भी अपील तब तक ग्रहण न की जाएगी जब तक कि अपील, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उसकी प्रति अपीलकर्त्ता को प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर न कर दी जाए, परन्तु यदि अपीलीय प्राधिकार का यह समाधान हो जाए कि अपीलकर्त्ता द्वारा समय पर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

35. समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का अर्जन।— समिति एवं उसके किसी कार्यालय द्वारा अर्जित सभी आस्तियाँ एवं दायित्व यथा— अचल, चल, भूमि, भवनों, भंडारों, वाहनों, पुस्तकों, नकद, प्रतिभूतियों, विनिवेशों, उपस्करों आदि समिति के नियंत्रणाधीन समझे जायेंगे। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व किये गये सभी एकरारनामे एवं अनुबंध और तदनुसार सृजित दायित्व इस अधिनियम के अधीन समझे जायेंगे।

36. सद्भावहीन किया गया अनुबंध।— इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा समिति के साथ किया गया कोई एकरारनामा या अनुबंध, यदि पाया जाता है कि सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है तो समिति के हितों के विरुद्ध किया गया ऐसा अनुबंध एवं एकरारनामा रद्द किया जा सकेगा या उस हद तक परिवर्तित किया जा सकेगा।

37. व्यावृत्ति।— जब तक समिति इस अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन नियमावली एवं विनियमावली नहीं बना लेती है तब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में प्रचलित एवं पूर्व से लागू नियमावली एवं विनियमावली, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, लागू रहेंगी।

38. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

- (1) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (1952 का बिहार अधिनियम) और उसमें तत्पश्चात् समय-समय पर किये गये सभी संशोधन एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जब ऐसा कार्य किया गया या कार्रवाई की गयी।
- (3) इस अधिनियम के निरसन के पूर्व लंबित या अन्यथा कार्यवाही उक्त अधिनियम के अंतर्गत लंबित मानी जायेगी तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत निष्पादित होगी।

39. नियम, विनियमावली और आदेश को लागू करना।— बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (बिहार अधिनियम 1952) के अन्तर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम, विनियम, आदेश अथवा अधिसूचना, जो समय-समय पर सरकार, समिति या प्राधिकार द्वारा बनाये गये हैं, तबतक प्रभावी माने जायेंगे, जबतक सरकार या समिति द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के अनुकूल नियम या विनियम नहीं बना लेती है।



40. कठिनाईयों का निराकरण करने की सरकार की शक्ति।— यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण करने हेतु आदेश/निर्देश जारी कर सकेगी, जो समिति पर बाध्यकारी होगी।

41. व्याख्या।— इस अधिनियम के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण के प्रावधानों की व्याख्या करने में किसी अस्पष्टता या अंतर के मामले में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इस अधिनियम की अंग्रेजी संस्करण का प्रावधान मान्य होगा।

परिशिष्ट-1

1. समिति, अध्यक्ष, सचिव, विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ निम्नानुसार पुनर्परिभाषित की जायेंगी—

पद का नाम	वित्तीय शक्तियाँ	प्रशासनिक शक्तियाँ	
		छुट्टी	अनुशासनिक मामले
समिति	25 लाख से ऊपर।	—	अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकार।
अध्यक्ष	20 लाख के ऊपर एवं 25 लाख तक।	समिति के उपाध्यक्ष की सभी प्रकार की छुट्टियों का स्वीकृति प्राधिकार।	(i) कार्यालय परिचारी स्तर से ऊपर के सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का नियुक्ति प्राधिकार। (ii) सचिव द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकार।
उपाध्यक्ष	10 लाख के ऊपर एवं 20 लाख तक।	समिति के सचिव की सभी प्रकार की छुट्टियों का स्वीकृति प्राधिकार।	---
सचिव	10 लाख तक।	(i) समिति के विभागाध्यक्षों की सभी प्रकार की छुट्टियों के स्वीकृति प्राधिकार। (ii) समिति के सभी पदाधिकारियों एवं स्टाफ की सभी प्रकार की छुट्टियों (आकस्मिक/प्रतिबंधित/क्षतिपूरक छुट्टी को छोड़कर) का स्वीकृति प्राधिकार।	कार्यालय परिचारी स्तर के कर्मियों का नियुक्ति प्राधिकार।
विभागाध्यक्ष	1 लाख तक।	नियमों के अनुसार अपने स्कंध के सभी स्टाफ को आकस्मिक/प्रतिबंधित/क्षतिपूरक छुट्टियों का स्वीकृति प्राधिकार।	नियमों के अनुसार अपने स्कंध के प्रशाखा पदाधिकारी स्तर तक के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को निलंबित करना तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशांसा करना।
क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी	0.75 लाख तक।	क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं स्टाफ को आकस्मिक/प्रतिबंधित/क्षतिपूरक छुट्टियों का स्वीकृति प्राधिकार।	—

नोट :

1. अध्यक्ष का सभी विभागाध्यक्षों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रहेगा। सचिव एवं विभागाध्यक्षों द्वारा पारित निलंबन आदेश तथा सचिव द्वारा अधिरोपित दंडों को अध्यक्ष द्वारा समीक्षित एवं संशोधित किया जा सकेगा। उपाध्यक्ष, सचिव एवं विभागाध्यक्षों की उपर्युक्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ अध्यक्ष द्वारा परिवर्तित की जा सकेंगी।
2. विभाग, समय-समय पर, उपर्युक्त शक्तियों को पुनर्परिभाषित कर सकेगा, और इसलिए, यह परिशिष्ट, समय-समय पर, विभाग द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।



परिशिष्ट-2

समिति के विभिन्न स्कंधों के पदाधिकारीगण

इस अधिनियम की धारा-12 (2) में उल्लिखित विभागाध्यक्षों से भिन्न, समिति के विभिन्न स्कंधों के पदाधिकारीगण निम्नानुसार होंगे, यथा—

1. सचिवालय स्कंध—

- (क) अपर सचिव
- (ख) विशेष कार्य पदाधिकारी
- (ग) संयुक्त सचिव
- (घ) संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय कार्यालय)
- (ङ) संयुक्त सचिव (OFSS)
- (च) उप सचिव
- (छ) उप सचिव (OFSS)
- (ज) वित्त पदाधिकारी
- (झ) मुख्य लेखा पदाधिकारी
- (ञ) सहायक सचिव
- (ट) सहायक सचिव (OFSS)
- (ठ) विधि पदाधिकारी
- (ड) जनसम्पर्क पदाधिकारी
- (ढ) प्रशासनिक पदाधिकारी
- (ण) प्रोजेक्ट मैनेजर
- (त) प्रोजेक्ट मैनेजर (OFSS)
- (थ) सहायक अभियंता
- (द) लेखा पदाधिकारी

2. शैक्षणिक स्कंध—

- (क) निदेशक (शैक्षणिक)
- (ख) सहायक सचिव (सम्बद्धता एवं अनुदान)
- (ग) सहायक सचिव (शिक्षक एवं प्रशिक्षण)
- (घ) अकादमिक परामर्शी (कला/मानविकी)
- (ङ) अकादमिक परामर्शी (विज्ञान/गणित)

3. निगरानी स्कंध—

- (क) मुख्य निगरानी पदाधिकारी
- (ख) निगरानी पदाधिकारी

4. माध्यमिक परीक्षा स्कंध—

- (क) परीक्षा नियंत्रक
- (ख) उप परीक्षा नियंत्रक

5. उच्च माध्यमिक परीक्षा स्कंध—

- (क) परीक्षा नियंत्रक
- (ख) उप परीक्षा नियंत्रक

6. विविध परीक्षा स्कंध—

- (क) परीक्षा नियंत्रक
- (ख) उप परीक्षा नियंत्रक

7. सूचना प्रौद्योगिकी स्कंध—

- (क) निदेशक
- (ख) उप निदेशक
- (ग) उप निदेशक (OFSS)
- (घ) सिस्टम एनालिस्ट

नोट— उपर्युक्त सूची में, समय-समय पर, समिति परिवर्तन कर सकेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।



30 जुलाई 2019

सं० एल०जी०-01-14/2019/5150/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2019 को अनुमत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 10, 2019) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

[Bihar Act 10, 2019]

THE BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD ACT, 2019

In the seventieth year of Republic of India, it may be enacted by the Legislature of Bihar as follows: -

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called as "The Bihar School Examination Board Act, 2019."

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions. – In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, -

- (a) 'Academic Session' means a period of twelve months from the 1st of April of the current year to 31st March of the following year;
- (b) 'Affiliated School' means educational institutions having received privilege of the Board according to the provisions of this Act and rules and regulations thereto up to class XII.
- (c) 'Affiliation committee' means Affiliation Committee constituted under Section 20 of the Act.
- (d) 'Appointing Authority' with respect to all employees above the level of Office Attendant means the Chairman and of the level of Office Attendant employees means the Secretary;
- (e) 'Appellate Authority' with respect to all employees above the level of Office Attendant means the Board and of the level of Office Attendant employees means the Chairman; and
- (f) 'Appendix' means Appendix appended to this Act;
- (g) 'Board' means the Bihar School Examination Board established under Section 3 of the Bihar School Examination Board Act, 1952 and to be established under section-3 of this Act;
- (h) 'Chairman' means the Chairman of the Board;
- (i) 'Department' means Education Department, Government of Bihar;
- (j) 'Examination' means examination conducted by the Board.
- (k) 'Government' means the State Government of Bihar;
- (l) 'Government Teacher Training College' means Teacher Training College established by the Government of Bihar;
- (m) 'Headmaster or Head Mistress' means the Headmaster or Head Mistress of a Senior Secondary or Secondary School affiliated by the Board.
- (n) 'Head of the Department (HoD)' means the head of different wings as enumerated in section 13 (2) of this Act;



- (o) '*Non-Governmental Organization*' means any organization or institution or society or trust or any other body with any such name and registered under Societies Registration Act, 1860 or created under Indian Trusts Act, 1882 or registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 for educational and social purposes;
- (p) '*Prescribed*' means prescribed by Rules and Regulations made by the Board under this Act;
- (q) '*Regulations*' means Regulations made by the Board under this Act;
- (r) '*Rules*' means Rules made by the Department under this Act;
- (s) '*School*' means secondary and senior secondary schools recognized and affiliated by the Board;
- (t) '*Secondary School*' means a school imparting education of courses up to grade 10 as prescribed by the Board and includes institutions duly affiliated by the Board;
- (u) '*Senior Secondary School*' means a school imparting education of courses up to Intermediate (+2) grade as prescribed by the Board, and includes institutions of Intermediate (+2) Education, duly affiliated by the Board;
- (v) '*Secretary*' means the Secretary of the Board;
- (w) '*State*' means the state of Bihar;
- (x) '*State Government*' means the State Government of Bihar;
- (y) '*State University*' means University established by the State of Bihar under the Bihar State Universities Act-1976, The Patna University Act-1976, Nalanda Open University Act-1995 and Aryabhatta Knowledge University Act-2008;
- (z) '*Vice Chairman*' means the Vice-Chairman of the Board.

CHAPTER-II BOARD

3. *Establishment and incorporation of Board.*—

- (1) There shall be established by the Government a Board known by the name of the Bihar School Examination Board which shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal and shall by that name sue and be sued.
- (2) The Board shall have power to acquire and hold property, both movable and immovable, and, subject to the provisions of this Act and the Rules/Regulations made thereunder, to transfer any property held by it and to contract and to do all other things necessary for the purposes of this Act.
- (3) The headquarter of the Board shall be situated at Patna, having its regional offices at different places, as per decision of the Board.

4. *Constitution of the Board.* – (1) *The Board shall consist of-*

- (a) Chairman;
- (b) Vice-Chairman;
- (c) Director, Secondary Education, Education Department, Bihar (ex-officio);
- (d) Secretary of the Board as Member-Secretary;
- (e) Two representatives from any two of the State Universities in Bihar, to be nominated by the State Government;
- (f) One Principal of a Government Teacher Training College, to be nominated by the State Government.



- (g) Two persons from any organization under the State Government who, in the opinion of the State Government, possess expert knowledge of the examination system, to be nominated by the State Government.

(2) Subject to the provision of Section 5(4) and 6(4), the term of office of the Chairman, Vice-Chairman and the members, shall be for a period of three years from the date of notification or till further orders, as decided by the Government.

5. Appointment of the Chairman and his removal. –

- (1) The Government shall appoint the Chairman.
- (2) A person to be appointed to the post of Chairman shall be a working or retired IAS (Indian Administrative Service) Officer not below the rank of the Secretary of the State Government.
- (3) The pay, allowances and other conditions of service of the Chairman shall be such as may be determined by the Government.
- (4) The Government may, by notification, remove the Chairman at any time.
- (5) A person who has been previously appointed as Chairman, shall also be eligible for appointment as Chairman subject to the provision of section 5(2), by the Government.

6. Appointment of the Vice-Chairman and his removal. –

- (1) The Vice-Chairman shall be appointed by the Government.
- (2) A person to be appointed to the post of Vice-Chairman shall be an officer of Indian Administrative Service or Group A Central Services or an officer of Additional Secretary level or above of Bihar Administrative Service.
- (3) The pay, allowances and other conditions of service of the Vice-Chairman shall be such as may be determined by the Government.
- (4) The Government may, by notification, remove the Vice-Chairman at any time.

7. Vacancy in the office of the Chairman. –

- (1) If the Chairman, by reason of his death, resignation, removal or otherwise, is unable to complete his full term, the Vice-Chairman or any other person appointed by the Government shall discharge the functions and duties of the Chairman till such time, a Chairman is appointed by the Government under Section 5 (1) of the Act.
- (2) In the absence of Chairman, the Vice-Chairman shall preside over the meeting of the Board.

8. Appointment of Secretary and his removal. –

- (1) The Government shall appoint Secretary of the Board with such terms and conditions and for such period as may be prescribed by the Government.
- (2) A person to be appointed to the post of Secretary shall be an officer of the level of Joint Director or above of Bihar Education Service or an officer of the level of Joint Secretary or above of Bihar Administrative Service.
- (3) The Government may, by notification, remove the Secretary, at any time.

9. Vacancies in the Board, etc., not to invalidate acts or proceedings. –No act or proceeding of the Board or of any Committee of the Board shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Board or Committee, as the case may be.

10. Conduct of business. –The Board shall, by regulations, prescribe the procedure to be followed in regulating the conduct of business at meetings of the Board and of any Committee constituted by the Board under this Act.

**11. Powers & Functions of the Board. –**

- (1) The Board shall make arrangements for the conduct of different examinations held under this Act.
- (2) The Board-
 - (a) shall conduct Secondary and Senior Secondary Examinations of students duly registered with schools affiliated with the Board;
 - (b) shall conduct examinations for the Diploma in Elementary Education (DI.Ed) of institutions recognized by the National Council of Teachers Education (NCTE) and affiliated by the Board ;
 - (c) shall conduct such other examinations as directed by the Department or as decided by the Board from time to time ;
 - (d) shall publish results and award certificates, diplomas, prizes and scholarships for the examinations conducted by the board;
 - (e) shall grant affiliation to Secondary and Senior Secondary Schools and institutions conducting Diploma in Elementary Education (DI.Ed) courses;
 - (f) shall regulate the schools/institutions affiliated with the Board;
 - (g) shall have the power to suspend or cancel affiliation of the schools/institutions which have been granted affiliation by the Board;
 - (h) shall determine ways and means for conduct of examinations, publication of results and award of certificates and mark sheet;
 - (i) shall determine conditions for admitting students in affiliated schools of the Board and permitting such students to appear in the Secondary and Senior Secondary Examination being conducted by the Board;
 - (j) may debar students/institutions indulging in use of unfair means in the examinations conducted by the Board;
 - (k) shall demand and receive such fees as may be prescribed by the Board;
 - (l) shall encourage and promote curricular and extra-curricular activities.
 - (m) shall try to improve knowledge and awareness among students, teachers, guardians and among such persons as considered necessary by the Board.
 - (n) may render financial assistance to educational institutions for improving their infrastructure and encourage them to perform better.
 - (o) shall evolve improved methods of assessment of the attainments of candidates and carry out experiments in such methods;
 - (p) may arrange inspection of Schools;
 - (q) shall conduct such other departmental examinations and perform such other duties as may be prescribed;
 - (r) may constitute and appoint such committees, for carrying out the functions and duties assigned to it under the Act;
 - (s) shall create such different posts in various offices of the Board, up to the level of Section Officer. The posts above Section Officer shall be created with the prior approval of the Department;
 - (t) may create such other temporary posts for a maximum period of one year as may be deemed necessary for carrying out its duties and functions assigned to it under the Act and may engage persons against such posts on Adhoc basis for a maximum period of one year; and



- (u) shall have the power to take online admission in the senior secondary and/or secondary schools under its jurisdiction.
- (3) The Board shall have such financial and administrative powers as are enumerated in Appendix-1.

12. Power of Government to issue direction to the Board.— The Government may, from time to time, issue such general or special directions to the Board, as it may think fit. The Board shall comply with such directions in performance of its functions.

13. Officers of the Board.—

- (1) *The following shall be the officers of the Board, namely-*
 - (i) Chairman,
 - (ii) Vice-Chairman,
 - (iii) Secretary,
 - (iv) Head of Department (HoD) of different wings, as defined in sub-section (2) of this section,
 - (v) Such other officers as mentioned in Appendix-2,
 - (vi) Such other officers as may be prescribed by Rules made under this Act or as may be decided by the Board, from time to time.
- (2) The following officers of the Board shall be the Head of the Department (HoD) of their respective wings, namely: -
 - (i) Director (Academics)-Academic Wing
 - (ii) Chief Vigilance Officer -Vigilance Wing
 - (iii) Controller of Examination, Secondary- Secondary Examination Wing
 - (iv) Controller of Examination, Senior Secondary- Senior Secondary Examination Wing
 - (v) Controller of Examination, Miscellaneous,- Miscellaneous Examination Wing
 - (vi) Director (Information Technology)-Information Technology Wing
- (3) The financial and administrative powers of HoDs of different wings shall be such as enumerated in Appendix-1.

Provided that the post of officers of the Board, may be filled up by deputation also from the officers of the State or Central Government.

14. Powers and duties of Chairman. –

- (1) The Chairman shall have power to convene meetings of the Board and shall preside over the meetings of the Board.
- (2) In any emergency arising out of the administrative business of the Board, which, in the opinion of the Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary, and shall thereafter report the action taken by him to the Board at its next meeting.
- (3) He shall be the appointing and disciplinary authority of all employees above the level of Office Attendant;
- (4) The financial and administrative powers of the Chairman shall be such as enumerated in Appendix-1.
- (5) The Chairman shall exercise such other powers as may be conferred upon him by the Rules and Regulations framed under the Act.
- (6) The Chairman shall also discharge such other duties and functions, as directed by the Government from time to time.

**15. Powers and duties of Vice-Chairman. –**

- (1) The Vice-Chairman shall be the presiding officer of the meetings of the Board in the absence of the Chairman.
- (2) The financial and administrative powers of the Vice-Chairman shall be such as enumerated in Appendix-1. In the absence of Vice-Chairman, the financial and administrative power of the Vice-Chairman may be exercised by the Chairman.
- (3) The Chairman may delegate any of his power and functions to the Vice-Chairman including his financial and/or administrative powers. In addition, the Chairman may assign any other work or function to the Vice-Chairman.

16. Powers and duties of Secretary. –

- (1) The Secretary shall, subject to the control of the Board, be the Chief Administrative Officer of the Board. He shall also be responsible for the presentation of the annual estimates and statement of accounts.
- (2) The Secretary shall be the Member-Secretary of the Board.
- (3) The Secretary shall be responsible for ensuring that all moneys are expended for the purpose for which they are granted or allotted.
- (4) The Secretary shall be responsible for keeping the minutes of the Board meeting.
- (5) The Secretary shall be the appointing and disciplinary authority of the level of employees of Office Attendant.
- (6) The financial and administrative powers of the Secretary shall be such as enumerated in Appendix-1.
- (7) The Secretary shall exercise such other powers as may be prescribed by the Rules and Regulations, framed under the Act.

17. Power & functions of Controllers of Examinations of the Board.— The Controllers of Examinations shall have following powers and functions namely-

- (a) To consider, moderate, determine and publish the results of the examinations;
- (b) To admit candidates to the concerned examinations and disqualify any candidates from appearing in such examinations for any reason which in his opinion is prejudicial to the examination system and the provisions of the Act;
- (c) To fix examination centers and evaluation centers;
- (d) To prepare lists of persons suitable for appointment as paper-setters, moderators, examiners, tabulators, supervisions and invigilators for examinations and make appointments as such;
- (e) Conduct of examination, Publication of Press Communiques, Preparation and publication of result.
- (f) Matters related to scrutiny and correction/publication of pending result.
- (g) Such other functions as decided by the Board from time to time.

18. Functions of other officers of the Board. -

- (1) The functions of Director (Academics), Chief Vigilance Officer and Director (Information Technology) shall be as follows: -
 - (i) **Director (Academics)** - Director (Academics) shall be the head of the Academic wing and he would be responsible for ensuring that affiliation of institutions for Secondary, Senior Secondary and other training courses are granted in accordance with the



provisions of the Act. He would recommend and review the curriculum and syllabus. He shall discharge such other duties and functions as decided by the Board from time to time.

(ii) **Chief Vigilance Officer** - Chief vigilance officer shall be the head of vigilance wing. His duty shall be to prevent and detect corruption and other malpractices in the head quarter offices and regional offices of the Board and to recommend appropriate action against such employees, found to have indulged in corrupt practices, which are prejudicial to the interest of the Board.

(iii) **Director (Information Technology)** - Director (Information Technology) shall be the head of the Information Technology (I.T) wing and shall be responsible for strategy, management and execution of I.T. related works in the Board including I.T related works in the conduct of different examinations of the Board.

(2) The Board shall have the power to confer such other functions as may be deemed necessary, on the officers of the Board.

(3) The functions of other officers of the Board, mentioned in Appendix-2 shall be determined by the Board, from time to time.

19. Power to grant and withdraw affiliation –

(1) The Board shall have the power to grant affiliation of Secondary and Senior Secondary Schools or any other school established or to be established by the non-governmental organizations or private persons on the basis of recommendation of the Committee of Affiliation constituted under section 20 of the Act and it shall have power to make regulations in this regard with the approval of the Department;

Provided that the Institutions of imparting education of intermediate (+2) standard deemed to have been recognized under Section 39 of the institutions established and recognized or granted permission for establishment under Section 41 of the Bihar Intermediate Education Council Act, 1992 shall be deemed to have been affiliated with Board for the senior secondary examination.

Provided further that all such institutions of Intermediate (+2) Education shall reorganize and rename themselves as Senior Secondary Schools with facilities and teachers for imparting education at secondary stage and senior secondary stage as prescribed by the Regulations to be made by the Board in this regard, and within the time frame indicated in it:

(2) The Board shall have the power to withdraw/cancel/suspend affiliation of Secondary and Senior Secondary Schools which have been granted affiliation under subsection (1) of Section 19 or deemed to have been affiliated with the Board under first proviso to Section 19 (1) of the Act, if in the opinion of the Board, the affiliated institutions have failed to maintain the requisite standards for grant of affiliation or have in any manner acted in the detriment or prejudicial to the interest of the students, Board or the education system in general.

Provided also that before withdrawing/cancelling affiliation, the Board shall give to the schools or the institutions concerned a reasonable opportunity of being heard, and the students admitted into



such schools or institutions shall be allowed to complete their academic sessions and appear at the next examination conducted by the Board.

- (3) When affiliation of Secondary and Senior Secondary Schools which have been granted affiliation under subsection (1) of Section 19 or deemed to have been affiliated with the Board under first proviso to Section 19 (1) of the Act, is liable to be cancelled, pending final decision regarding withdrawn/cancellation of affiliation, the affiliation, may, at the discretion of the Board, be suspended after recording reasons for the same. No prior show cause notice shall be required to be served upon such institutions, before suspending affiliation.

20. Committee of Affiliation. –

- (1) A Committee shall be constituted by the Board for considering and recommending grant of affiliation of Secondary, Senior Secondary and other Schools, for which it has to take examination, established by non-governmental organizations or private persons.
- (2) The recommendation of the Committee of Affiliation shall be placed before the Board for final decision. The recommendation of the Committee of Affiliation shall not be binding upon the Board and the Board shall have the power to constitute such other committees for determining the eligibility of the Secondary and Senior Secondary Schools seeking affiliation with the Board.
- (3) The Committee of affiliation shall consist of the following: -
 - (i) Secretary of the Board;
 - (ii) Director, Secondary Education, Government of Bihar
 - (iii) Director(Academics) of the Board
 - (iv) Chief Vigilance Officer of the Board
- (4) The Secretary of the Board shall function as Convenor of the Committee,

21. Powers to supersede the Board. –

- (1) If in the opinion of the Government, the Board is unable to perform the duties imposed upon it by or under the Act or has repeatedly failed in its performance or has not complied with the directions issued under section 12 by the Government or has acted beyond its power or has abused its powers, the Government may by notification supersede the Board for such period which may be specified in the notification:

Provided that before issuing notification under this subsection, the Government shall give reasonable opportunity to the Board to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanations and objections, if any, of the Board.

- (2) Upon the publication of the notification under subsection (1) for the supersession of the Board-
- (a) All the members of the Board shall vacate their posts as such with effect from the date of supersession;
 - (b) All the powers and duties to be exercised or performed by or on behalf of the Board by or under the provisions of the Act during the period of supersession shall be exercised or performed by such persons as the Government directs; and
 - (c) all the properties vested in the Board, during the period of supersession, shall vest in the Government.



- (3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under subsection (1), the Government-
- (a) may extend the period of supersession for such further period as it may consider necessary; or
 - (b) may reconstitute the Board as provided in section-4.

CHAPTER-III FUND OF BOARD

22. Fund of Board.-

- (1) There shall be established a fund for the Board which shall be vested in the Board for the purposes of this Act, subject to the provisions contained therein, to be called the Fund of Board.
- (2) There shall be placed to the credit of the Fund of Board -
 - (a) all sums allotted to the Board from the Consolidated Fund of the State of Bihar by the Government and all sums borrowed by the Board for the purposes of carrying out the provisions of this Act and the Rules and Regulations made thereunder;
 - (b) all money received by or on behalf of the Board including all fees payable and levied under any provisions of this Act and the Rules and the Regulations made thereunder; and
 - (c) all other sums received by the Board, not included in the preceding clauses.
- (3) The sums received on account of Fund of Board shall be kept in any scheduled commercial bank/banks (approved by the Reserve Bank of India) and shall be credited to account to be called the Account of the Bihar School Examination Board.

23. Application of Fund of Board.- Fund of Board shall be applicable to the following objects: -

- (a) to the repayment of debts incurred by the Board for the purpose of this Act and the Rules and Regulations made thereunder;
- (b) to the payment of the salaries and allowances of the officers and staff of the Board;
- (c) to the payment of the travelling and other allowances of the members of the Board and the various Committees constituted under the Act, Rules and Regulations framed thereunder;
- (d) to the payment of the expenses incurred in conducting the examinations and performing the functions entrusted to the Board under this Act and the Rules and Regulations made thereunder;
- (e) to the payment of the cost of audit of the Fund of Board;
- (f) to the payment of grant-in-aid for distribution among schools as subsidies with a view to enable such schools to introduce revised courses of studies and to make other improvements;
- (g) to payment of grants to any educational institution affiliated with the Board for improving its infrastructure or to encourage it to perform better.
- (h) To the payment for creation of infrastructure including purchase of land and building; construction of building; payment of rent for land and building; payment for security and rent for hiring vehicle; purchase of machinery, vehicle, equipment, software and hardware etc;



- (i) to the payment for encouragement and promotion of curricular and extra-curricular activities among students;
- (j) to the payment for improvement of knowledge and awareness among students, teachers, guardians and among such persons as considered necessary by the Board;
- (k) to payment for any activity for improving the functioning and/or work culture of the Board, or to improve efficiency of the officers and staffs of the Board;
- (l) to the expenses of any suit or proceedings to which the Board is a party;
- (m) to the payment of any other expenses up to rupees five crore, not specified in any of the preceding clauses, declared by the Board, with the approval of Board and above rupees five crore with the prior approval of the Department, to be the expenses for the purposes of the Board; and

Provided that the grant of any sum for application to the objects specified in clauses (f) and (g) shall be subject to the approval of the Board.

24. Audit of accounts of the Board. – The accounts of the Board shall be subject to audit.

CHAPTER-IV **SECONDARY SCHOOL, SENIOR SECONDARY SCHOOL AND OTHER** **EXAMINATIONS**

25. Secondary School Examination. – The Board shall conduct examinations to be called the Secondary School Examinations, at which may be allowed to appear all such duly enrolled candidates who have completed the prescribed course of studies taught at the in Secondary or Senior Secondary Schools affiliated with the Board and, notwithstanding anything contained in any law, a student who has passed the Secondary School Examination shall be eligible for enrolment as a student of Senior Secondary Section of High Schools/Colleges subject to the fulfillment of such conditions as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations made under the law of their incorporation;

Provided that the courses of studies shall be in such groups and in accordance with such instructions as may from time to time, be laid down by the Department.

26. Senior Secondary School Examination. – The Board shall conduct examination to be called the Senior Secondary School Examination at which may be allowed to appear all such duly enrolled candidates who have completed the prescribed courses of studies taught in Senior Secondary Schools/Intermediate Section of College/Colleges and, notwithstanding anything contained in any law, a student who has passed the Senior Secondary Examination shall be eligible for enrolment as a student of any University incorporated by any law for the time being in force subject to the fulfillment of such conditions as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations made by the Universities concerned under the law of their incorporation;

Provided that the courses of studies shall be in such groups and in accordance with such instructions as may from time to time, be laid down by the Department.

98

27. Other Miscellaneous Examinations. – The Board shall conduct examinations to be called other Miscellaneous Examinations notified by the Department or as decided by the Board, to be conducted by the Board at which all such duly enrolled candidates may be allowed to appear as per Rules and Regulations prescribed by the Board.

28. The aims and objects of Secondary/Senior Secondary School/Other Miscellaneous Examinations.—The Secondary/Senior Secondary School/Miscellaneous other Examinations to be conducted by the Board shall aim at testing the competence and accomplishment of such candidates and preparedness for absorption in different vocations or services and/or their suitability for receiving higher education.

CHAPTER-V REGIONAL OFFICES

29. Regional Offices of the Board .-

- (1) In addition to the headquarter of Board at Patna, there shall be regional offices of the Board at different places as per decision of the Board.
- (2) The regional offices of the Board shall also accept the applications regarding students/candidate's grievances and shall take steps for their redressal.

30. Duties & functions of Regional Offices.— The following shall be the duties and functions of the regional offices, namely -

- (i) Major corrections pertaining to Senior Secondary and Secondary Examinations. Major corrections are defined as corrections leading to fundamental change, Viz. DOB, gender, category, name, etc.
- (ii) Minor corrections pertaining to Senior Secondary and Secondary Examinations. Minor corrections are defined as corrections pertaining to spelling related errors.
- (iii) Issuance of duplicate certificates (viz. Duplicate certificate, English version certificate, Mark sheet etc.) pertaining to Secondary and Senior Secondary Examinations.
- (iv) Online verification of results pertaining to Secondary and Senior Secondary Examinations.
- (v) Any other work related to examinations or any other matter as directed by the Board.

Provided that the duties and functions of the Regional offices may be amended by the Board, from time to time.

31. Administrative and financial powers of In-charge officer of the regional offices.— The administrative and financial powers of the In-charge officer of regional office shall be as per Appendix-1.



CHAPTER-VI MISCELLANEOUS

32. Power to make Rules.—The Government may, by notification in the official gazette, make Rules not inconsistent with the provisions of this Act for carrying out the purpose and objects of this Act.

33. Power of Board to make Regulations.—The Board may, by notification in the official gazette and subject to confirmation by the Department, make Regulations not inconsistent with the Act and the Rules made thereunder to provide for all or any of the following matters, namely: -

- (a) the procedure to be followed in regulating the conduct of business at meetings of the Board;
- (b) for regulating the schools/institutions affiliated with the Board ;
- (c) for improvement of teaching standards for imparting education in the schools affiliated with the Board;
- (d) the affiliation/de-affiliation of schools;
- (e) prescribing the mode and manner of permanent/regular appointment of officers and employees of the Board and qualifications for such posts;
- (f) the service conditions of the Officers and employees of the Board; and
- (g) any such matter which by this Act or the Rules made thereunder are to be or may be provided by Regulations.

34. Appeal and Review.—

- (1) The Chairman shall have the power to revise any order passed by the Secretary or by the Head of Department of the respective wing.
- (2) Any person being aggrieved from the order of the Chairman, may prefer an appeal before the Board.
- (3) Any person being aggrieved from the order of the Secretary, may prefer an appeal before the Chairman.
- (4) There shall be no appeal against the orders of the Board, however the person aggrieved, may prefer a review before the Board.
- (5) No appeal shall be entertained unless it is submitted within a period of two months from the date on which the appellant receives a copy of the order appealed against, provided that the appellate authority may entertain the appeal after expiry of the said period if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not submitting the appeal in time.

35. Acquisition of assets and liabilities of the Board. – All assets and liabilities of the Board acquired in any of its offices such as immovable, movable, land, buildings, stores, vehicles, books, cash, securities, investments, furniture and other shall be deemed to be under control of the Board. All such agreements and contracts done before commencement of this Act and liabilities so created shall be deemed to be under this Act.

36. Contract done not in good faith.— Before commencement of the Act, any agreement or contract done by any person with the Board, if found to be have been executed not in good faith, the contract or agreement so executed against the interest of the Board may be cancelled or amended to that extent, without any liability on the Board.

37. Savings.— Until such time as the Board makes Rules & Regulations under the appropriate provisions of this Act, any Rules & Regulations prevailing in the Bihar School Examination Board which were in force, shall continue to be in force so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act.

**38. Repeal and savings.~**

- (1) The Bihar School Examination Board Act, 1952 (Bihar Act of 1952) including its amending Acts, are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Act shall be deemed to have been done or taken in the exercise of powers conferred by or under this Act, as if this Act was in force on the day on which such thing or action was done or taken.
- (3) All proceedings pending or otherwise, immediately before the commencement of this Act shall on such commencement be deemed to be proceedings pending under this Act and shall be dealt with accordingly under the provisions of this Act.

39. Rules, Regulations and orders to remain in force.—Every rule, regulation, order or notification which was made under the Bihar School Examination Board Act, 1952 (Bihar Act of 1952) including its amending Acts by the State of Bihar or by the Board or by the authorities of the Board under those enactments, which was in force immediately before the repeal thereof shall, in so far as such order or notification or rule or regulation is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to continue in force, as if it has been made under this Act, till such time the Government makes Rules or the Board makes Regulations under the appropriate Provisions of Act.

40. Power of Government to remove difficulties.— If any difficulty arises in the execution of any provision of this Act, the Government may issue order or instruction to remove such difficulty which would be binding on the Board.

41. Interpretation.— In case of any ambiguity or difference in interpreting the provisions of the English and the Hindi version of this Act, the provision of the English version of this Act shall be applicable.

APPENDIX-1**FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE POWERS**

- (1) The financial and administrative powers of the Board, Chairman, Secretary, HoDs and In-charge of Regional offices shall be redefined as follows -

Name of Authority	Financial Powers	Administrative Powers	
		Leave	Disciplinarily matters
Board	Above Rs. 25 lakhs	--	Shall be the appellate authority against the order passed by the Chairman
Chairman	More than Rs. 20 lakhs and up to Rs. 25 lakhs	Sanctioning Authority of grant of leave to the Vice-Chairman of the Board.	(i) Shall be the appointing and disciplinary authority of all employees above the level of Office Attendant; (ii) Shall be the appellate authority against the order passed by the Secretary.
Vice-Chairman	More than Rs. 10 lakhs and up to Rs. 20 lakhs	Sanctioning Authority of grant of leave to the Secretary of the Board.	--



Name of Authority	Financial Powers	Administrative Powers	
		Leave	Disciplinary matters
Secretary	Up to Rs. 10 lakhs	(i) Sanctioning Authority of leave of the HoDs of the Board. (ii) Sanctioning Authority of leave (except Casual/ Restricted/ Compensatory Leave) of all officers and staff.	Shall be the appointing and disciplinary authority of the level of employees of Office Attendant.
HoDs	Up to Rs. 01 lakh	Sanctioning Authority of Casual/ Restricted/Compensatory Leaves to the officers and staff of their wing as per Rules.	Suspension of officers and staff up to level of Section Officer in their wing, as per Rules and recommending departmental proceedings against officers and employees in their wing;
In charge of Regional offices	Up to Rs. 0.75 lakh	Sanction of casual leaves of officers and staff posted in the regional offices.	--

Note :-

- (1) The Chairman shall have overall control and supervision over all HoDs and wings. The order of suspension and/or imposition of penalties passed by the Secretary and respective HoDs may be reviewed and modified by the Chairman. The above mentioned financial and administrative power of Vice-Chairman, Secretary and HoDs may be subjected to modifications by the Chairman.
- (2) The Department may redefine the aforesaid powers, from time to time, and therefore this Appendix may be modified by the Department, from time to time.

Appendix - 2**Officers of different wings of the Board**

The officers of different wings of the Board, shall be as follows, namely -

1. Secretariat Wing: -

- (a) Additional Secretary,
- (b) OSD (Officer on Special Duty)
- (c) Joint Secretary,
- (d) Joint Secretary (Regional Office),
- (e) Joint Secretary (OFSS),
- (f) Deputy Secretary,
- (g) Deputy Secretary (OFSS)
- (h) Finance Officer,
- (i) Chief Accounts Officer,
- (j) Assistant Secretary,
- (k) Assistant Secretary (OFSS)
- (l) Law Officer,
- (m) Public Relation Officer,
- (n) Administrative Officer,



- (o) Project Manager,
 - (p) Project Manager (OFSS)
 - (q) Assistant Engineer,
 - (r) Accounts Officer.
2. Academics Wing: -
- (a) Director (Academics)
 - (b) Assistant Secretary (Affiliation and grants),
 - (c) Assistant Secretary (Teaching and Training),
 - (d) Academic Advisor (Arts/Humanity),
 - (e) Academic Advisor (Science/Mathematics).
3. Vigilance Wing: -
- (a) Chief Vigilance Officer,
 - (b) Vigilance Officer.
4. Secondary Examination Wing: -
- (a) Controller of Examinations,
 - (b) Deputy Controller of Examinations.
5. Senior Secondary Examination Wing: -
- (a) Controller of Examinations,
 - (b) Deputy Controller of Examinations.
6. Miscellaneous Examination Wings: -
- (a) Controller of Examinations,
 - (b) Deputy Controller of Examinations.
7. I.T. Wing: -
- (a) Director,
 - (b) Deputy Director,
 - (c) Deputy Director (OFSS),
 - (d) System Analyst.

Note- The Board may make changes to the above list from time to time.

By Order of the Governor of Bihar,
Sanjay Kumar,

Under Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 881-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>